प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक
अंशु पब्लिक स्कूल,
दादरी : गाजियाबाद :

पत्रांक शि०म०। 11432-33/88-89 दिनांक 30/03/88

विषय- अंशु पब्लिक स्कूल दादरी : गाजियाबाद को प्राइमरी स्तरीय स्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 12-01-1988 के सम्बंध में सूचित किया जाता है कि 17-03-1988 में आयोजित जिला मान्यता समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को जुलाई 1988 से निम्नांकित प्रतिबंधों के साथ प्राइमरी स्तर की स्थायी मान्यता प्रदान करने सम्बंधी निश्चय किया गया -

1- विभागीय आदेशों एवं नियमों की अवहेलना, करने पर स्थायी मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

2- विद्यालय में किसी अमान्य कक्षा का संचालन ना किया जाये।

3- अध्यापकों को निर्वाह निधि की सुविधा दी जाये।

4- विभागीय आदेशानुसार सभी प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाये व विधिवत इस कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त किये जाये।

5- छात्रों से विभाग द्वारा निर्धारित दर से शुल्क जो पन्द्रह रूपये मासिक से अधिक नहीं लिया जाये। इसके अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क किसी भी नाम से नही लिया जाये।

6- आवश्यकतानुसार विज्ञान, शिक्षण व क्रीडा सामग्री एवं छात्र प्रयोगी पुस्तकों की व्यवस्था हो।

7- सभी अध्यापक, कर्मचारियों को परिषदय, कर्मचारियों के भाति वेतन, महगाई व अति० महगाई भत्ता देय हो व भुगतान बैंक के माध्यम से चैक द्वारा किया जाये।

कुसुमलता

MANAGER
ANSHU PUBLIC SCHOOL
DADRI (G.B.NAGAR)

भवदीय
कमला रानी शर्मा
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

पृ०सं०शि०म० ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :
1- सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ
2- जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद
3- उप विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद

कमला रानी शर्मा
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

PRINCIPAL
Anshu Public School
Dadri, G.B. Nagar
18/03/21

सेवा में

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद ।

प्रबन्धक अंशु पब्लिक जू० हा० स्कूल, दादरी (गा० बाद)

पत्रांक शि०ज०। 1980-81 । दि० 31-7-89

विषय- जूनियर हाई स्कूल स्तर की नवीन मान्यता ।

महोदय,

सूचित किया जाता है कि दि० 26-7-89 में आयोजित जिला मान्यता समिति की बैठक में आपके विद्यालय को तीन वर्ष (~~१ मई ८९ से ३० अप्रैल ९० तक~~) 1-7-89 से 30-6-92 जू०हा०स्कूल कक्षाओं के संचालनार्थ अस्थायी एवं नवीन मान्यता, प्रतिबन्धात्मक रूप में, देने का निर्णय लिया गया है । विभागीय आदेशों के परिपेक्ष में, समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार, आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया आप सभी अपूर्ण प्रतिबन्धों :विवरण निम्नप्रकार: की पूर्ति करके निर्धारित ३ वर्षों की समयावधि में स्थायी मान्यता प्राप्त करलें । यह भी निर्दिष्ठ किया जाता है कि आप अपूर्ण प्रतिबन्धों के पूर्ति करने संबंधी अनुपालन आख्या इस पत्र के प्राप्ति के तीन माह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें-

१- पंजीकरण अधिनियम १८६० के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति के पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र को नियमित रूप से नवीनीकृत कराया जाय ।

२- विद्यालय के सुचारु संचालनार्थ पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध किये जाय ।

३- शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी हो तथा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू हो । अस्वीकृत व अमान्य पुस्तकों का कदापि प्रयोग न हो ।

४- अध्यापक वर्ग की भर्ती तथा सेवा शर्तें -:उ०प्र० मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल :जू०हा०स्कूल: (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें)नियमावली १९७८ तथा लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा प्रकरण :उ०प्र०मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल :जू०हा०स्कूल (लिपिक वर्ग और समूह घ के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली १९८४ के प्राविधान के अनुसार शासित होंगी । कोई भी व्यक्ति अध्यापक या कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जबतक कि वह निर्धारित अर्हतायें न रखता हो तथा निश्चित प्रक्रिया अपनाकर नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त न किया गया हो।

५- प्रत्येक अध्यापक/कर्मचारी को वही वेतनमान, मंहगाई व अति०मंहगाई भत्ता देय होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले अध्यापक/कर्मचारी को दिया जाता है ।

६- विभागीय अधिकारियों द्वारा कभी भी विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा व विभागीय आदेशों का पालन अनिवार्य होगा । अमान्य कक्षाएं कदापि संचालित नहीं की जायेगी ।

७- समस्त निधियों का लेखाजोखा पृथक पृथक उचित रूप में रखकर खाते डाकघर या अनुसूचित बैंक में हो ।

८- विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल शुल्क लेकर पुष्टि में रसीदें [illegible]

९- विद्यालय के नाम मुस्वामित्व वाले निजि भवन में -
अ- प्रत्येक सेक्शन के लिये २० २५ माप के पक्के कक्ष हों
ब- ३० २० माप का विज्ञान कक्ष व कृषि हेतु कमरे की व्यवस्था हो ।
स- कक्रिक विषयों, प्रधानाध्यापक,भंडार गृह और कार्यालय हेतु पृथक कक्ष हों
द- छात्रों और अध्यापकों के लिये पृथक पृथक मूत्रालय और शौचालय की व्यवस्था हो ।
त- ग्रामीण क्षेत्र में दो एकड़ व नगर क्षेत्र में १ से १-१/२ एकड़ क्रीडास्थल हो ।

१०- विद्यालय में ३ उपखण्डों के कारण - प्रारम्भ में प्रधानाध्यापक, एक लिपिक, [illegible] सहायक अध्यापकों व ३ चतुर्थ श्रेणीय कर्मचारियों के पदों के सृजन का स्वीकृति [illegible] जाती है । [illegible] सृजन की स्वीकृति अनिवार्य होगी ।

MANAGER
ANSHU PUBLIC SCHOOL
DADRI (G.B.NAGAR)

PRINCIPAL
Anshu Public School
Dadri, G.B N

११- इस कार्यालय की बिना पूर्व स्वीकृति के किसी कक्षा/सेक्शन को न तोड़ा जाय या वृद्धि की जाय ।

१२-

१३-

विभागीय नियमों का उल्लंघन करने अथवा गंभीर प्रकार की शिकायतों की पुष्टि होने पर किसी भी समय अस्थायी मान्यता समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद ।

पृ०सं०शि०स०। दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

१- शिक्षा अधीक्षक,
२- उप विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद
३- जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद ।
४- बेसिक शिक्षा अधिकारी:महिला: गाजियाबाद ।
५- लेखाधिकारी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद ।